

मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय
उत्तर पश्चिम रेल्वे, जोधपुर

No. 1 AT/Safety/Safety Circular-04/JU/2024/04

दिनांक 08.03.2024

सभी अधिकारी उ.प.रे. जोधपुर मण्डल, सभी स्टेशन अधीक्षक स्टेशन मास्टर, यातायात निरीक्षक, संरक्षा सलाहकार, यार्ड मास्टर, वरि.सेक्शन इंजीनियर(रेल पथ), वरि.सेक्शन इंजीनियर(संकेत), वरि.सेक्शन इंजीनियर(दूरसंचार), वरि.सेक्शन इंजीनियर (सवारी व माल) मुख्य लोको निरीक्षक मुख्य नियंत्रक कंट्रोल, मुख्य नियंत्रक कैरेज, मुख्य नियंत्रक कंट्रोल लोको, मुख्य नियंत्रक (दूरसंचार), मुख्य नियंत्रक (बिजली), प्रशिक्षक यातायात प्रशिक्षण स्कूल जोधपुर, गार्ड व चालक फ़ाइल जोधपुर, जैसलमेर, मेड़तारोड, बाड़मेर व समदड़ी, प्राचार्य डीजल प्रशिक्षण केंद्र भगत की कोठी।

मंडल संरक्षा परिपत्र - 04/2024

विषय :- स्टेशन पर वाहनों को सुरक्षित रखना :-

स.नि. 5.23 (1) जब तक कि कोई लाइन या कोई लाइनों का समूह को निकट की परिचालित लाइनों से पृथक न कर दिया गया हो, उस लाइन या लाइनों के समूह पर खड़ा हुआ कोई डिब्बा इस प्रकार रखा जाना और संरक्षित रहना चाहिये, कि वह परिचालित लाइनों को अवरोधित न करता हो और न ही उसके द्वारा परिचालित लाइनों को अवरोधित किया जा सकता हो। जब डिब्बे/लोड/गाड़ी स्टेशन पर स्थिर किये जाये तो स्टेशन मास्टर/यातायात कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही-

- (क) वाहन/लोड/गाड़ी को कम से कम दो चैनों से प्रत्येक सिरे पर एक-एक चैन बाँध कर हाथ तालित किया जाये।
- (ख) कम से कम चार स्प्रेग/वुडन वेज का उपयोग किया जाये जो प्रत्येक सिरे पर सबसे बाहरी पहिये के जोड़ों के नीचे दो-दो लगाये जाये।
- (ग) दोनों सिरों के कम से कम 6 वैगनों के हैंड ब्रेकों को पूर्णतया कस दें। कोचिंग वाहनों के स्थिर होने की स्थिति में एसएलआर में ट्रेन मैनेजर के हैंड ब्रेक का अवश्य उपयोग किया जाये। हैंड ब्रेकों को ट्रेन मैनेजर के निजी पर्यवेक्षण में लगाया जाये और ट्रेन मैनेजर की अनुपस्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर के निजी पर्यवेक्षण में लगाये जाये।
- (घ) स्थिर लोड/गाड़ी के वाहनों को एक साथ जोड़ दिया जाये। स्थिर लोड को किसी कारण से अलग किया जाना हो तो अलग किये गये ऐसे प्रत्येक भाग को सुरक्षित करने के लिए अलग-अलग लोड माना जाये।

(ड.) अवरुद्ध लाइन के कांटों को लाइन के विरुद्ध सैट करके क्लैम्प लगा कर हाथ तालित कर देने चाहिये। यदि डेड एण्ड और ट्रेप कांटा हो तो कांटों को उस तरफ सैट करके हाथ तालित कर देना चाहिये। यदि स्कॉच ब्लॉक हो तो उसका अवश्य उपयोग करें।

(च) सम्बन्धित सिगनल तथा पाइंट बटनों/स्लाइडों/लीवरों इत्यादि पर स्टॉप कॉलर रखें।

(छ) टीएसआर और स्टेशन मास्टर की डायरी में लाल स्याही से इस आशय की टिप्पणी लिखें कि लाइन सं... ब्लॉक है और लोड को सुरक्षित करने के लिए निर्धारित सभी सावधानियाँ बरती गयी हैं।

(ज) किसी भी लोड/गाड़ी/लोको को स्थिर कर दिये जाने के पश्चात् स्टेशन मास्टर निजी अंक से सेक्शन नियंत्रक को सूचित करेगा कि लोड/गाड़ी/लोको को स्थिर व सुरक्षित करने के लिए निर्धारित सावधानियाँ बरती गयी हैं।

स.नि.5.23(2) 400 में 1 या इससे ज्यादा (स्टीपर) ग्राडियेंट वाले स्टेशन पर वाहन/लोड/गाड़ी को स्टेबल करते समय बरती जाने वाली अतिरिक्त सावधानियाँ, जो (सीआरएस द्वारा) अनुमोदित विशेष निर्देशों के तहत हैं और संबंध स्टेशन के स्टेशन संचालन नियमों में शामिल हैं, का निष्ठा से अनुपालन किया जाये। अनुमोदित विशेष निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित हिदायतों के अलावा निम्न सावधानियाँ भी अवश्य बरती जायें—

(क) वाहन को अलग करने से पहले हाथ के ब्रेक लगाने चाहिये, स्प्रेग/वुडनवेज/स्किड का प्रयोग किया जाना चाहिये ताकि वाहन को रोलिंग डाउन से बचाया जा सके।

(ख) जहाँ तक संभव हो, वाहन/लोड/गाड़ी को उस लाइन पर खड़ा किया जाना चाहिये जो दूसरी लाइनों विशेष कर रनिंग लाइन से पृथक (आइसोलेट) हो।

स.नि.5.23(3) लोको सहित लोड/गाड़ी को स्टेबल किये जाने या लाइट इंजन को बंद या स्टेबल किये जाने पर लोको छोड़ने से पहले लोको पायलट/सहा. लोको पायलट द्वारा की जाने वाली कार्यवाही—

(अ) एसए-9 तथा ए-9 दोनों ब्रेक लगाना

(ब) पार्किंग ब्रेक तथा हैंड ब्रेक लगाना

(स) लोको में उपलब्ध वुडन वेज से लोको को सिक्थोर करना।

स.नि.5.23(4)(अ) जब लोको पायलट ड्यूटी पर तैनात हो तो उसे लोको मानव रहित (अनमेन्ड) नहीं छोड़ना चाहिये। यदि उसे ऐसा करना पड़े तो उसे स्टेशन मास्टर/यार्ड मास्टर से लिखित प्राधिकार पत्र प्राप्त होने पर उपरोक्त सहायक नियम 5.23(3)(अ), (ब), एवं (स) को सुनिश्चित करना चाहिये।

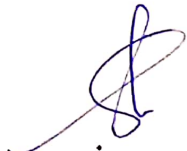
(ब) स्टेशन /यार्ड को छोड़ने से पूर्व, लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर द्वारा स्टेशन मास्टर द्वारा मेनटेन किये जा रहे रजिस्टर में संयुक्त रूप से यह रिकार्ड किया जाना चाहिये कि लोको एवं लोड को उपरोक्तानुसार सिक्थोर किया गया है।

स.नि.5.23(5) दुर्घटना, विफलता, अवरोध या अन्य किसी कारण से यदि गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में स्टेबल करना पड़े तो लोको पायलट/सहायक लोको पायलट तथा ट्रेन मैनेजर द्वारा निम्न कार्यवाही की जानी चाहिये—

(अ) लोको पायलट/सहायक लोको पायलट तथा ट्रेन मैनेजर द्वारा सामान्य एवं सहायक नियम के प्रावधान 6.03 के अनुसार गाड़ी का बचाव करना चाहिये।

(ब) लोको ब्रेक (एस ए-9, ए-9 एवं हैंड ब्रेक) तथा गाड़ी के दोनों सिरे के कम से कम 6 वैगनों के हैंड ब्रेक लगा कर सिक्थोर करना चाहिये। सहायक लोको पायलट द्वारा आगे वाले तथा ट्रेन मैनेजर द्वारा पीछे वाले हैंड ब्रेक को लगाना चाहिये। यदि गाड़ी बिना ट्रेन मैनेजर के चलाई जा रही है तो ट्रेन मैनेजर की ड्यूटी सहायक लोको पायलट द्वारा की जायेगी। कोचिंग ट्रेन के मामले में लोको पायलट द्वारा लोको ब्रेक लगाने के अतिरिक्त ट्रेन मैनेजर द्वारा एसएलआर का हैंड ब्रेक भी लगाना चाहिये।

(स) जब गाड़ी खड़ी हो एवं उस दौरान एमआर प्रेशर गिरना शुरू हो जाता है तो लोको पायलट को वैजेज लगाकर रेल इंजन को संरक्षित करना है। चूंकि एसएलआर में इंजन की तरह ऐसा कोई गेज नहीं होता, ट्रेन मैनेजर तुरन्त एम आर प्रेशर नहीं देख सकता, इसलिए लोको पायलट एम आर प्रेशर गिरने के बारे में ट्रेन मैनेजर को तुरन्त सूचित करेगा और तदुपरान्त ट्रेन मैनेजर अन्तिम वाहन में वैजेज लगाकर गाड़ी को संरक्षित करेगा।


वरि. मण्डल संरक्षा अधिकारी
उ.प.रे. जोधपुर

प्रतिलिपि :- म.रे. प्रबन्धक व अ. म.रे. प्रबन्धक को सादर सूचनार्थ